11/10/19 पत्रावली पश्चात् प्रार्थीगण वकील उप०।
चूंकि मूल वाद में वकील द्वारा Not-press
करने से वाद खारीज हो चुका है, अतः आवेदन
में आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य
नहीं रहा। आवेदन में आगे की कार्यवाही
इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन
खारीज किया जाता है। पत्रावली बेकार
कुमार घिसा डालिये ऊपर हो रुपये
से वाद दो।

Not press
y
for

11/10/19
सहायक कलक्टर
चौहटन